2020/00622

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट — **बनाम** — **अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट**

श्री छगनलाल कुमावत
निवासी कुमावत मोहल्ला, आबकारी
आबूरोड़ जिला सिरोही।

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी
उपखण्ड़ अधिकारी आबूपर्वत

किस्म मुकदमा— **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005**

मुकदमा नं. 72 वर्ष 2020

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
14.12.2020	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे । अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड़ अधिकारी आबूपर्वत को दिनॉक 30.09.2020 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि उपखण्ड़ अधिकारी आबूपर्वत द्वारा जारी भवन निर्माण स्वीकृत संख्या 01/2019 दिनांक 24.06.2019 के जरिये की गई भवन निर्माण स्वीकृति की सम्पूर्ण पत्रावली मय स्वीकृत नक्शे की सत्यापित प्रतिलिपि से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था । किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं । मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है । अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड़ अधिकारी आबूपर्वत को दिनॉक 30.09.2020 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि उपखण्ड़ अधिकारी आबूपर्वत द्वारा जारी भवन निर्माण स्वीकृत संख्या 01/2019 दिनांक 24.06.2019 के जरिये की गई भवन निर्माण स्वीकृति की सम्पूर्ण पत्रावली मय स्वीकृत नक्शे की सत्यापित प्रतिलिपि से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। चूंकि उपखण्ड़ अधिकारी आबूपर्वत द्वारा जरिये पत्र क्रमांक/सू.अ./2020/1275 दिनांक 19.10.2020 को सूचना उपलब्ध करा दी गई है। अतः अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो । Signature Not Verified Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal Date: 2021.01.12 17:42:10 IST Reason: SelfAttested (भगवती प्रसाद) जिला कलक्टर	

Scanned with CamScanner